14.महात्मा गांधी–नरेगा से पूर्व आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी की समस्या

शिव कुमार *

शोध सार

ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और शहर के अन्तराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना आवश्यक है गांवों के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। ग्रामीण विकास के मार्ग में प्रमुख समस्या ग्रामीण बेरोजगारी की है। सरकार ने इस दिशा में हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती स्वीकार की है जिसमें रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को पारित किया गया।

कुंजी शब्द

ग्रामीण विकास, रोजगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महात्मा गांधी–नरेगा।

FULL TEXT

परिचय

देश की राष्ट्रीय आय में एक बड़ा अंश ग्रामीण क्षेत्र का होने के बाद भी भारतीय ग्राम विकास की दौड़ में पीछे हैं। विकास का प्रमुख लक्ष्य एक ऐसी समतावादी समाज–व्यवस्था को स्थापित करना है, जहाँ पर सभी व्यक्ति समान हों, सभी को अवसरों की समानता हो तथा विभिन्न क्षेत्रों, समाजों, वर्गों एवं लोगों में विषमता न हो। विकास से सम्बन्धित उपलब्ध आँकड़े दर्शाते हैं कि देश में ग्रामीण लोगों की उच्चस्तरीय सेवाओं तक पहुँच तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ी अवस्था में है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में नगर विकास की धुरी बनकर उभरे हैं जिसके परिणामस्वरूप गाँव एवं शहर के बीच असमानता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और शहर के अन्तराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

गरीबी की समस्या को और अधिक प्रभावी रूप से निपटाने हेतु मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करने के अनुक्रम में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम (नरेगा) तैयार किया। 2 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 लागू किया गया। वर्ष 2009–10 के दौरान, एक संशोधन के माध्यम से नरेगा को ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम''(महात्मा गांधी–नरेगा) नया नाम दिया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

गरीब बेरोजगारों के लिए रोजगार गारण्टी योजना का आरम्भ सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में किया गया, जब 1817 में गरीबों के लिए रोजगार एक्ट पास किया गया, जिसे 1834 में संशोधित कानून का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारम्भ किया गया न्यू डील प्रोग्राम भी रोजगार गारण्टी की दिशा में

एक प्रयास था। पूर्व में इसी तरह की अनेकों योजनाएँ विकसित एवं विकासशील देशों में चलाई गयीं, जिनका उद्देश्य गरीबी कम करना, जन अधोसंरचनाओं का निर्माण एवं रखरखाव, कामगारों की मजदूरी दर में वृद्धि आदि था। रोजगार की सीमित गारण्टी के साथ–साथ गरीबी को कम करने के उद्देश्य से चिली (1987), भारत (1978), पाकिस्तान (1992), बाग्लादेश (1983) फिलीपींस (1990), बोस्तवाना (1960), केन्या (1992) आदि देशों में योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं।

ज्याँ ड्रेज का कहना है कि नरेगा से लोगों को बहुत अधिक अपेक्षाएँ हैं। लोगों का मानना है कि इससे ग्रामीणों की गरीबी और भुखमरी खत्म होगी, शहरों की ओर पलायन रुकेगा, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण, ग्रामीण शक्ति संरचना में समानता एवं पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रारम्भ पर प्रसिद्ध पत्रकार तवलीन सिंह का कहना था कि नरेगा एक खर्चीली एवं अनुपयोगी योजना है, जो राजनीतिक लाभ के लिए चलाई गयी है। इसी तरह का विचार ए. चन्द्रा मेनन ने अपने लेख 'जॉबिंग थ्रू टू दि इलेक्शन' में व्यक्त करते हुए लिखा था कि नरेगा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चालू की गयी एक जनलोकप्रिय योजना है, और यह अपने प्रथम चरण में 12 हजार करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर मात्र 2 करोड़ लोगों के वोट खरीदने का ही उपयोगी कार्य करेगी। वहीं सेबेस्टियन मोरिस ने इस योजना को एक नवजात शिशु की संज्ञा देते हुए कहा था कि पूर्व में चलाई गई योजनाओं के आधार पर अभी से इस योजना का मूल्यांकन करना ठीक नहीं नहीं है क्योंकि किसी भी योजना की प्रभाविकता उसके क्रियान्वयन की कुशलता पर निर्भर करती है।

शोध प्रश्न

- बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ?

- क्या सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण अधोसंरचना का विकास हो रहा है?
- ग्रामीण भारत के विकास में किस प्रकार की समस्याएं हैं ?

शोध उद्देश्य

- अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण भारत के विकास की स्थिति का विश्लेषण करना ।
- सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ग्रामीण विकास पर प्रभाव ।
- सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संचालित परियोजनाओं का रोजगार सृजन पर प्रभाव ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसका उद्‌देश्य विषय या समस्या के सम्बन्ध में यथार्थतः वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वर्णनात्मक शोध (अनुसन्धान) में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। यहाँ मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि विषय से सम्बन्धित एकत्रित किये गये तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हों।

ऑकड़ों का संकलन

इसमें द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदनों, सर्वेक्षणों के ऑकड़े तथा शोध विषय से सम्बन्धित सामग्री, जो विभिन्न आलेखों, प्रलेखों, पत्र–पत्रिकाओं एवं ग्रन्थों में उपलब्ध थी, का प्रयोग किया गया है। शोध विषय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचनाओं को विश्लेषित किया गया है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास एक ऐसी व्यूह रचना है जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना शामिल है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है, जिसके अन्तर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सामाजिक–आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि कार्य सम्मिलित हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान दिये बिना भारत के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अतएव नियोजन के आरम्भ से अब तक की सभी योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिये विभिन्न युक्तियाँ अपनायी गयी हैं, जिनके अंतर्गत कृषि विकास, भूमिहीनों के लिए उचित मजूदरी, ग्रामीण औद्योगीकरण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा आर्थिक व सामाजिक उन्नति का आधार तैयार करना आदि सम्मिलित हैं।

ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना

किसी देश की समृद्धि कृषि तथा उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। इसके लिए संचालन शक्ति, ऋण एवं परिवहन सुविधा, श्रमशक्ति, ऊर्जा, बैंकिंग, संचार सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन सभी सुविधाओं एवं सेवाओं को सामूहिक रूप में आधारभूत संरचना की संज्ञा दी जाती है। भौतिक अवस्थापना में परिवहन, विद्युत और संचार आदि मुख्य हैं जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं तथा सामाजिक अवस्थापना में आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति आदि मुख्य हैं जो प्राथमिक सेवाओं के रूप में होते हैं। उनका जीवन की गुणवत्ता और कार्यक्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, बंदरगाह आदि के

लाभ नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के लिये खुले हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रकृति नगरीय और बाजार अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है।

पेयजल

समस्याग्रस्त गांवों में त्वरित गति से पेयजल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने हेतु भारत सरकार ने 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना शुरू की। इस संपूर्ण कार्यक्रम को उस समय मिशन का दृष्टिकोण दिया गया जब 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम से पेयजल प्रबंधन से संबंधित पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन किया गया तथा 1999 में पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति वर्ष 2005–06 में शुरू किए गए भारत निर्माण का एक घटक है। भारत निर्माण चरण–1 (2005–06 से 2008–09)के अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 4,098 करोड़ रुपये, वर्ष 2006–07 में 4560 करोड़ रुपये, वर्ष 2007–08 में 6,441.69 करोड़ तथा वर्ष 2008–09 में 7,299.48 करोड़ रुपये उपयोग किए गए। 01 अप्रैल 2005 तक 96.13 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की पूरी सुविधा की गई जबकि 3.55 प्रतिशत में आंशिक सुविधा दी जा सकी तथा 0.32 प्रतिशत में यह सुविधा बिलकुल नहीं उपलब्ध हो पायी।

वर्ष 2008 में, पेयजल सुविधा के बिना ग्रामीण सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 43,000 थी। नए ग्रामीण स्कूलों में पेयजल सुविधा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराने और विद्यमान स्कूलों को एन. आर.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत निधियों के माध्यम से कवर किए जाने का निर्णय लिया गया और वर्ष 2009–10 के दौरान, लगभग 45,000 ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल सुविधा प्रदान की गयी।

पेयजल हेतु केन्द्र सरकार के गामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिव्यय

क्र. सं.	योजना का नाम	परिव्यय 2008–09		परिव्यय 2009–10		परिव्यय 2010–11
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	7300.00	7300.00	8000.00	7999.00	9000.00
2	स्टेण्ड एलोन शुद्धीकरण प्रणाली	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3	सामाजिक एवं अवसंरचनात्मक विकास	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00
4	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1580.00
	कुल	**8500.00**	**8500.00**	**9200.00**	**9199.00**	**10580.00**

ग्रामीण सड़कें

गतिशीलता बढ़ानें, उत्पादन प्रक्रम को सुगम बनाने, कच्चे पदार्थों को उत्पादन स्रोतों तक पहुँचाने तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादन को उपभोग स्थानों तक पहुँचाने के लिए परिवहन व्यवस्था का विकसित होना आवश्यक है। परिवहन साधनों का विकास करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार प्रदान कर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का निदान करता है। भारत में योजनाकाल में सड़कों का तीव्र प्रसार हुआ है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी.एम.जी.एस.वाई.)के अंतर्गत निधियों का वर्ष–वार आवंटन

वर्ष	राशि (करोड़ रु0 में)
2000–01	2500.00
2001–02	2500.00
2002–03	2500.00
2003–04	2325.00
2004–05	2148.00 + 320.00*
2005–06	3809.50 + 410.50*
2006–07	3725.62 + 1500*
2007–08	3900.00 + 2600.00*+ 4500.00**
2008–09	5330.15 + 2250.00*+ 7500.00**
2009–10	10650.00 + 1350.00*+ 6500.00**

*एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक से सहायता

**नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. विंडो से ऋण

दिसम्बर 2009 तक 97,583 कि0मी0 ग्रामीण सड़कें बनाकर 33,812 बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है। इसके अलावा, मौजूदा 1,84,353 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, दिसम्बर, 2009 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1,12,435 करोड़ रु. की लागत से 4,05,651 कि0मी0

लंबाई के 1,03,097 सड़क कार्यों के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एजेंसियों को 60,939 करोड़ रु. रिलीज किए गए। कुल मिलाकर 2,50,605 कि0मी0 लंबाई के 66093 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं, जिन पर 59852 करोड़ रु. खर्च हुए हैं। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए डीजल पर उपकर से प्राप्त होने वाली राशि का एक हिस्सा (50%) उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी संभावना है कि डीजल पर उपकर से 'भारत निर्माण'के अंतर्गत सड़क कार्यों के लिए लगभग 16,000 करोड़ रु. उपलब्ध होंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में ग्रामीण विद्युतीकरण की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल कृषि विकास बल्कि ग्रामीण औद्योगिक और व्यावसायिक क्रियाओं के प्रसार के लिए आवश्यक माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समान ग्रामीण विद्युतीकरण आवश्यक है। भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 5,87,000 गाँव हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 5 लाखगाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस प्रकार लगभग 87,000 गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना था। देश के 13 राज्यों ने अपने 100 प्रतिशत गाँवों के विद्युतीकृत होने की घोषणा की है। यद्यपि देश के 86 प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है, परन्तु अभी भी इन गाँवों में उत्पादन आधारित आवश्यकताओं के लिए विद्युत प्रयोग अत्यन्त सीमित है। अभी देश के 44 प्रतिशत परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, 56 प्रतिशत परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना शेष है। भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

दूर संचार

वैश्विक पतिस्पर्द्धा के लिए दूरसंचार एक महत्वपूर्ण आदान है, और इससे ही कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सफलता प्राप्त कर सकता है। कुल टेलीफोन कनेक्शनों की

संख्या 1999 में 229 लाख थी जो दिसम्बर, 2005 में बढ़कर 12.5 करोड़ हो गई। टेलीफोन सघनता प्रति 100 जनसंख्या पर 1999 में 2.32 थी जो दिसम्बर 2005 तक बढ़कर 11.32 हो गई। 2006–07 के अन्त तक भारत टेलीफोनों की संख्या के आधार पर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क वाला देश बन गया था। 31 मार्च 2007 को इस नेटवर्क में 20.683 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन और 23,6 लाख सार्वजनिक टेलीफोन थे, साथ ही देश में मोबाइल फोनों की संख्या 16.605 करोड़ थी।

मार्च 2008 में टेलीफोन नेटवर्क में 30.049 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन तथा 26. 108 मोबाइल कनेक्शन हो गये, जो प्रतिमाह 80 लाख की दर से बढ़ रहे थे। अगस्त 2008 में ग्रामीण क्षेत्र में 7.65 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे, जो अगस्त 2009 में बढ़कर 15.083 करोड़ हो गये और इसमें 18.37 प्रतिशत की दर बढ़ोत्तरी हो रही है।

दूर संचार सुविधा बढ़ाने के उददेश्य से 1999 में नई दूर संचार नीति घोषित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर प्रभावी दूर संचार सुविधा उपलब्ध कराना है। बेसिक टेलीफोन में राजकीय व मोबाइल फोन सेवा में निजी क्षेत्र की प्रधानता है। सितम्बर 31, 2005 तक देश के 5,39,572 गाँवों को 'विलेज पब्लिक टेलीफोन' से जोड़ा जा चुका है। भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2007 तक देश के 66,822 अतिरिक्त गाँवों को 'पब्लिक टेलीफोन' से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें शतप्रतिशत सफलता प्राप्त की गयी। साथ ही अगस्त 2009 तक ग्रामीण क्षेत्र में 69.8 लाख ब्राडबैण्ड कनेक्शन लगाये गये, जबकि कि 31 मार्च 2005 में इनकी संख्या मात्र 1.8 लाख ही थी।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य व्यक्ति की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। यह व्यक्ति और समाज के जीवन को अधिक सार्थक बनाती है तथा रोजगार अवसरों तक व्यक्ति की पहुँच बढ़ाती है। शिक्षा अत्यन्त समर्थ समानीकरण घटक है। नियोजन आरम्भ के समय ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति अत्यन्त कम थी। परिणामता साक्षरता दर अत्यन्त कम थी। योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्र

में शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। उच्च प्रावधिक और चिकित्सीय शिक्षा उपलब्ध कराने वाले संस्थानों में ग्रामीण युवकों का समावेश बढ़ा है। भारत में 1951 में कुल साक्षरता दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी जो 2001 में 64.84 प्रतिशत हो गई। महिलाओं की साक्षरता दर 1951 में मात्र 8.9 प्रतिशत थी जो 2001 में 54.2 प्रतिशत हो गई। शैक्षिक प्रसार की दृष्टि से नवम्बर, 2000 में 'सर्व शिक्षा अभियान' और 2003–04 से 'बालिकाओं में विशेष रूप से शिक्षा कार्यक्रम' आरम्भ किया गया। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी और समर्थ शिक्षा उपलब्ध कराना है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में शिक्षा के विकास हेतु क्रमशः 1,61,360 करोड़, 2,04,986 करोड़ एवं 2,35,035 करोड़ रू0 खर्च किये गये। वहीं इसी अवधि में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकारों द्वारा 73,898 करोड़, 90,700 करोड़ व 99,738 करोड़ रूपये व्यय किये गये।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का योजनाकाल में तीव्र प्रसार हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 1951 में केवल 725 थी। इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और मार्च, 2003 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1,63,195 हो गई। 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के पश्चात् से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2009–10 में 1.45 लाख उपकेन्द्रों के विकास के लिए रु0 10,000 प्रति उपकेन्द्र दिया गया। कुल 4276 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 2949 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकरण के चुना गया।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण गरीबों के लिए मकान–निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्ति निर्माण की महत्वपूर्ण गतिविधि है इसलिए ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करना और विशेषकर सबसे अधिक गरीब के लिए आवास की कमी की समस्या को हल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों के भाग के रूप में शुरू

किया गया है। इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 1985–86 से चल रही है।

इस योजना को 1989 में 'जवाहर रोजगार योजना' में मिला दिया गया। परन्तु इसे 1996 में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आवास कार्यक्रम के रूप में अलग कर दिया गया। देश में 1998 में राष्ट्रीय आवास एवं पुनर्वास नीति घोषित की गई और तदनुसार इन्दिरा आवास योजना में सुधार किया गया। देश में 1997–98 से 2001–02 की अवधि के लिए 109.53 लाख मकानों की आवश्यकता आंकी गई थी, जबकि इस अवधि में 45.0 लाख मकान बनाये गये।

ग्रामीण आवास भारत निर्माण कार्यक्रम के छह घटकों में से एक घटक है। 'भारत निर्माण' कार्यक्रम के चरण–I के अंतर्गत 4 वर्षों की अवधि में अर्थात वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक 60 लाख मकान बनाए जाने की संकल्पना की गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में 21720.39 करोड़ रुपये के व्यय से 71.76 लाख मकानों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में, वर्ष 2009–10 से अगले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान भारत निर्माण के अंतर्गत 120 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात लक्ष्य दुगुना कर दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60% निधियों का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचने के लिए तथा अधिकतम 40% निधियों का उपयोग गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीपीएल ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए करना होता है। वर्ष 2008–09 के दौरान उपयोग किए गए कुल 8348.34 करोड़ रुपये में से 4931.46 करोड़ रुपये (59.07%) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोग किए गए थे।

अनुमान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 89 प्रतिशत परिवारों के पास टेलीफोन नहीं है। 52 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं है। 20

प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल की कमी है। सर्वकालिक सड़कों तक पहुँच कम है। सर्वकालिक सड़कों से अभी गाँव की औसत दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिलाकर अभी अवस्थापना, सुविधाओं की कमी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परिव्यय

क्र. सं.	योजना का नाम	परिव्यय 2008–09		परिव्यय 2009–10		परिव्यय 2010–11
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	**संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना**					
	क. नकद घटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख. खाद्यान्न घटक	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
	कुल : एसजीआरवाई	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	16000.00	30000.19	39100.00	39100.00	40100.00
3	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2150.00	2350.00	2350.00	2350.00	2984.00
4	डीआरडीए प्रशासन	250.00	250.00	250.00	250.00	405.00
5	ग्रामीण आवास	5400.00	8800.00	8800.00	8800.00	10000.00
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	7530.00	7780.15	12000.00	11340.00	12000.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	15.00	16.81	15.00	15.00	105.00
8	कपार्ट को सहायता	50.00	52.20	50.00	50.00	100.00

9	पुरा	30.00	30.00	30.00	30.00	124.00
10	ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना	75.00	74.65	75.00	75.00	120.00
11	बीपीएल सर्वेक्षण	0.00	0.00	0.00	150.00	162.00
	कुल (योजना) (ग्रा.वि.)	31500.00	56854.00	62670.00	62160.00	66100.00

* पीएमजीएसवाई के लिए वर्ष 2009–10 के लिए नाबार्ड के जरिए आर0आई0डी0एफ0 विण्डो से ऋण के रूप में 6500 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2010–2011 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

भूमि सुधार

प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते हुए जैव–दबाव विशेषकर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि जोतों का विखण्डन बढ़ जाता है और भू–जोतों का आकार छोटा होता जाता है। देश में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता, जो वर्ष 1951 में 0.89 हैक्टेयर थी, 1991 में कम होकर 0.37 हैक्टेयर हो गई है; वहीं कृषि भूमि जो वर्ष 1951 में 0.48 हैक्टेयर थी, वर्ष 1991 में कम होकर 0.16 हैक्टेयर प्रति व्यक्ति हो गई है। उपलब्ध भूमि संसाधनों की पूरी क्षमता को प्रयोग में लाने तथा इसे और अवक्रमित होने से रोकने के लिए वर्षा संचित/अवक्रमित क्षेत्र को विकसित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्षा संचित और अवक्रमित भूमि की समस्या तथा इसका प्रबंधन जटिल और बहुआयामी है एवं इसे विकसित करने के लिए वैज्ञानिक, साकल्यवादी तथा नवीन पद्धति की आवश्यकता है।

भारत के 328.7 मिलियन हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 142 मिलियन हैक्टेयर निवल बुआई क्षेत्र है। इसमें से लगभग 57 मिलियन है। (40%) सिंचित है तथा शेष 85

मिलियन हैक्टेयर (60%) वर्षा सिंचित है। वर्षा सिंचित क्षेत्र सामान्यतया वायु और जल अपरदन से प्रभावित है और यह अवक्रमण के अलग–अलग स्तरों पर हैं।

कृषि व्यवसाय को संगठित करने के लिए इसमें आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है। कृषि में सुधार करने के लिए भूमि पर ट्रैक्टरों द्वारा गहरी जुताई और उन्नत बीजों और खाद की सहायता से सघन उत्पादन करना आवश्यक है। बिखरे हुए खेतों को चकबन्दी के द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए। किसानों को दोहरी फसल का उत्पादन करने के लिए उन्हें विभिन्न सुविधाएँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलना आवश्यक है। इन प्रयत्नों से व्यक्तियों में कृषि के लिए रुचि उत्पन्न की जा सकती है तथा किसानों को अधिक उपज के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। वर्षा पर कृषि निर्भरता को दूर करना आवश्यक है। यह केवल तभी सम्भव है जब अधिकाधिक नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों और बाँधों को सरल शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। इन प्रयत्नों से कृषि व्यवसाय अधिक सुरक्षित बन सकेगा तथा इसके प्रति अधिक से अधिक व्यक्ति आकर्षित होंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने के लिए आवश्यक है कि खेती योग्य भूमि में वृद्धि की जाय। हमारी उपजाऊ भूमि सीमित है, अतः बंजर और बेकार पड़ी भूमियों पर कृषि करने के लिए व्यक्तियों को स्वतंत्र अधिकार दे दिये जायें तो बड़ी मात्रा में भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वास्तव में निजी सम्पत्ति का जादू रेत को भी सोने में बदल देता है।

बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि के विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा इस संबंध में ध्यान देने के लिए सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की स्थापना की थी। बाद में ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में वर्ष 1992 में पृथक बंजरभूमि विकास विभाग की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को इसमें अंतरित किया गया था। भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अप्रैल, 1999 में बंजरभूमि विकास विभाग का नाम बदलकर भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया। परिणामस्वरूप, भूमि आधारित सभी विकास कार्यक्रमों तथा भूमि सुधार प्रभाग को

इस विभाग के अंतर्गत लाया गया था।ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग तीन दीर्घकालिक वाटरशेड विकास कार्यक्रमों अर्थात् समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आइ.डब्लू.डी.पी.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि का विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है।

बंजरभूमि को 'ऐसी अवक्रमित भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे युक्तिसंगत प्रयासों से वानस्पतिक आच्छादन के तहत लाया जा सकता है और जिसका साधारणतया बहुत कम उपयोग किया जाता है तथा इसमें ऐसी भूमि भी शामिल है जिसकी उर्वरता जल और भूमि संबंधी उपयुक्त प्रबंधन न होने के कारण अथवा प्राकृतिक कारणों से ह्रासित हो रही है।' ''भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस–2005''के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 55.27 मिलियन हैक्टेयर है।

वर्ष 1995–96 से लेकर 2009–10 तक 1877 आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं, जिनमें 10.722 मि.है. क्षेत्र शामिल है, स्वीकृत की गई एवं 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार 3797.09 करोड़ रुपये जारी किए गए। 31.12.2009 तक 390 परियोजनाएं,जिनमें 2.993 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है, पूरी की गई थीं, इनमें से 116 परियोजनाएं वर्ष 2009–10 के दौरान पूरी हुई थीं।

मरुभूमि का विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 से 2009 तक का 7.873 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 15,746 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं और 2723.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2009–10 के दौरान 224.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और 0.522 मि.है. क्षेत्र को शामिल करते हुए 1044 परियोजनाएं पूरी की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि सुधार योजना पर व्यय

क्र. सं.	योजना का नाम	परिव्यय 2008–09		परिव्यय 2009–10		परिव्यय 2010–11
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	1875.00	1595.00	1968.00	1819.80	2458.00
2	राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	473.00	202.90	400.00	199.99	200.00
3	राष्ट्रीय पुनर्वास नीति	2.00	2.00	2.00	0.01	1.00
4	जैव–ईंधन	50.00	0.10	30.00	0.20	1.00
	कुल–भूमि संसाधन	2400.00	1800.00	2400.00	2020.00	2660.00

कृषक गाँव की रीढ़ होते हैं। कृषि और सम्बद्ध क्रियाओं की धुरी पर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती हैं कृषक देश के लिये अन्नदाता है। परन्तु इस समय देश का सामान्य कृषक अपनी आधरिक जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा है। इन्हीं अन्नदाता परिवारों में आज विवशतावश आत्महत्यायें हो रही हैं। आज भी आत्महत्यायें अविरल गति से जारी हैं। कृषकों में आत्म–हत्यायें बढ़ रही हैं। आन्ध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों, महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से किसानों

द्वारा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या के समाचार लगातार आ रहे हैं। कृषि घाटे का व्यवसाय बनती जा रही है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 59वें दौर के ऑकड़ों के अनुसार देश के 40 प्रतिशत कृषक अलाभदायकता सहित विभिन्न कारणों से खेती छोड़ देना चाहते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्या

कृषि क्षेत्र में उत्पादन जड़ता की दशायें उत्पन्न होने से कृषिगत रोजगार वृद्धि लगभग समाप्त हो गयी। गाँव में रोजगार उपलब्ध न होने से ग्रामीण श्रमिक परिवारों के लोग ईंट भट्टों पर काम करने के लिये अथवा नगरों और कस्बों में अकुशल रोजगार हेतु पलायन करने लगे। खेती की उपज न बढ़ने से खेतिहर परिवारों की भी हालत खराब होने लगी, परन्तु वह खेती छोड़कर पलायन भी नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में कई व्यवसाय पुश्तैनी हुआ करते थे। व्यवसाय का यह स्वरूप अब बदल गया है। लोग अपनी पसंद से अब व्यवसाय का चयन कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों से स्थान–स्थान पर दैनिक, संविदात्मक एवं अकुशल रोजगार बढ़ रहा है तथापि गाँवों से दबावकारी पलायन हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में र हती है। गाँव में आजीविका के अवसर घटने के कारण नगरों की ओर पलायन अत्यन्त तेज हो गया है। यह अनुमान है कि सन् 2020 तक देश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहने लगेगी। इससे नगरों का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है और खेती वाली जमीन कम होती जा रही है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें लगभग 62 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती करके जीविका उपार्जित करती है। इसमें एक बड़ी संख्या ऐसे भूमिहीन किसानों की है जिन्हें सिंचाई, जुताई और फसल की कटाई के समय ही काम मिल पाता है। राजकीय कृषि आयोग के विचार से ऐसे किसान वर्ष में कम से कम चार महीने बेकार रहते हैं। गाँव में कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग–धन्धे भी इतने पिछड़े हुए हैं कि ग्रामीणों को रोजगार की अतिरिक्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पातीं। गाँवों में

बेरोजगार व्यक्तियों का सही अनुमान लगाने की कोई निश्चित कसौटी नहीं है, लेकिन इसका साधारण अनुमान 1981 की जनसंख्या के विवेचन से लगाया जा सकता है। इस समय गाँवों की कुल जनसंख्या 52.55 करोड़ थी, जिसमें से केवल 14.46 करोड़ लोग ही खेती और दूसरी सेवाओं में लगे थे। गाँवों में इस समय भूमिहीन मजदूरों की संख्या 5 करोड़ 27 लाख थी। इनमें से अधिकांश श्रमिकों के परिवार आज बेरोजगारी अथवा आंशिक बेरोजगारी की दशा में अवश्य हैं।

भारत में खेती की प्रकृति मौसमी है, अर्थात् कृषक को वर्ष में कुछ महीने काम मिलता है, जबकि शेष महीनों में वह बेकार रहता है। उत्तर प्रदेश के सरकार के अनुमान के अनुसार एक कृषक को वर्ष में 250 से 280 दिन केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य मिल पाता है, जहाँ पर नजरें हैं जबकि पूर्वी क्षेत्र में केवल तीन–चार मास ही काम मिलता है। 'राजकीय कृषि आयोग' का अनुमान है कि अधिकांश किसान वर्ष में कम से कम चार महीने तक अवश्य बेकार रहते हैं। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे कुटीर उद्योग–धन्धे भी स्थापित नहीं कर पाते जिससे बहुत से ग्रामीण बेकारी अथवा अर्द्ध बेकारी की स्थिति में रह जाते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है, जिसके अन्तर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सामाजिक–आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि कार्य सम्मिलित हैं। इन आधारभूत संरचनाओं का विकास करने में महात्मा गांधी–नरेगा सहायक सिद्ध हो रही है।

गरीबी की समस्या से और अधिक प्रभावी रूप से निपटने हेतु मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करने के अनुक्रम में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी गयीं। जिससे बृहद् स्तर पर ग्रामीण श्रम रोजगार का सृजन हुआ है।

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संचालित परियोजनाओं का रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन योजनाओं के संचालित होने से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन में कमी आयी एवं ग्रामीण परिसम्पत्तियों का विकास हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजीव कुमार, ग्रामीण विकास के लिए चाहिए नया दृष्टिकोण, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, जनवरी, 2009, पृ. 14.
2. कुरुक्षेत्र, अक्टूबर 2010, पृ. 14.
3. केसेलमैन, 1978; बर्नस्टेन, 1970.
4. ज्याँ ड्रेज, (2004), इम्प्लायमेंट ए सोशल रिस्पांसिबिलिटी, दि हिन्दू, 22 नवम्बर, 2004.
5. तवलीन सिंह, मार्क्सिस्ट बिगेन टू सी दि लाइट नाट सोनिया, इण्डियन एक्सप्रेस, 28 अगस्त, 2005.
6. ए. चन्द्रा मेनन, 'जॉबिंग थ्रू टू दि इलेक्शन', सिफी डाट काम, 05 अक्टूबर, 2005.
7. सेबेस्टियन मोरिस, इम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम इज ए स्टिल–बोर्न चाइल्ड : ट्राई लैण्ड रिफार्म, फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, अगस्त 30, 2005.
8. कुरुक्षेत्र, जनवरी 2009, पृ. 14.
9. डॉ. बद्री विशाल त्रिपाठी, भारतीय गाँव प्रगति के पथ पर, कुरुक्षेत्र, फरवरी, 2008, पृ. 30–31.
10. रुद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, चवालीसवां संस्करण, 2007, पृ. 63.
11. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 165.
12. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 169.
13. भारत 2008, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 829.
14. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 176.
15. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 190.
16. रुद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ. 76–77.
17. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 20.
18. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 27.
19. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 24.
20. रुद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ. 94.
21. भारत, 2008, पृ. 202.

22. इण्डिया 2009, पृ. 170.
23. इण्डिया, 2010, पृ. 178–179.
24. कुरुक्षेत्र, फरवरी, 2008, पृ. 31.
25. इण्डिया, 2010, पृ. 11.
26. आर्थिक समीक्षा, 2010–11, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 294.
27. इण्डिया, 2010, पृ. 510.
28. भारत, 2008, पृ. 821.
29. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 38.
30. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 40.
31. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 42.
32. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 190.
33. रुद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ. 403.
34. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 129–30.
35. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 132–33.
36. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 140.
37. वार्षिक रिपोर्ट 2009–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 190.
38. कुरुक्षेत्र, फरवरी, 2008, पृ. 31–32.

*** शिव कुमार, राजीव गांधी राष्ट्रीय शोधवेत्ता, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**

Cite

MLA SHIV, KUMAR. "महात्मा गाँधी नरेगा से पूर्व आर्थिक विकास एवं बेरोज़गारी की समस्या." *SOCRATES* 2.1 (2014): 146-166.

APA SHIV, K. (2014). महात्मा गाँधी नरेगा से पूर्व आर्थिक विकास एवं बेरोज़गारी की समस्या. *SOCRATES*, *2*(1), 146-166.

Chicago SHIV, KUMAR. "महात्मा गाँधी नरेगा से पूर्व आर्थिक विकास एवं बेरोज़गारी की समस्या." *SOCRATES* 2, no. 1 (2014): 146-166.